कार्यालय
आयकर आयुक्त
आयकर भवन, मोती डूंगरी, अलवर

दूरभाष नम्बर/Telephone No- 0144-2705100 फैक्स नम्बर/Fax No. 0144-2705102

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन/स्वीकृति

नाम : जन शिक्षा सांस्कृतिक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण कार्य सोसायटी (स्पेक्ट्रा) स्थाई खाता संख्या–AABAS5721J

पता : E–11, पटेल नगर, मन्ना का रोड़, अलवर

उपरोक्त सोसायटी द्वारा दिनांक 02.06.2014 को प्रस्तुत आवेदन इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में संख्या 381/48 पर दर्ज किया गया है। प्रस्तुत आवेदन और संलग्न अन्य सूचनाओं एवं प्रपत्रों के सत्यापन करने पर यह पाया गया कि संस्थान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकरण संख्या– 183/22 दिनांक 25/07/2011 पर पंजीकृत हो चुकी हैं और आवेदक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G (5)(i) से (v) में वर्णित शर्तों को पूरा करता है। अतः सोसायटी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2014 से, निम्न शर्तों पर, अनुमोदन/स्वीकृति दी जाती है :

1. सोसायटी अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियन की धारा 80G (5)(vi) के अधीन– धारा 12A(1)(b) के अनुपालना के साथ करवायेगी।
2. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से लिखाया/छपवाया जायेगा कि यह प्रमाण–पत्र कब से वैद्य है।
3. सोसायटी के विलेख (Deed)/विधान (नियमावली) में परिवर्तन कानूनी प्रकिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी।
4. इस संस्थान को दी गई स्वीकृति, प्राप्त दान के सम्बन्ध में तभी लागू होगी जबकि समिति की स्थापना भारत में पूर्त प्रयोजन के लिए हुई हैं एवं संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 80G(5)(i), (ii), (iii), (iv) व (v), 80G(5B), (5C) व (5D) में दी गई शर्तों को पूरा करता हो।
5. संस्था/सोसायटी या गैर – लाभ–कंपनी के प्रबंधक के बारे में बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सोसायटी के किया–कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी।
6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1)/(4A)/(4C) के तहत सोसायटी/संस्था की आयकर विवरिणी दाखिल करनी होगी।
7. सोसायटी द्वारा उपरोक्त किसी शर्त की अवज्ञा, दुरूपयोग, कमी या उल्लंघन की स्थिती में कानून के अनुसार यह अनुमोदन/स्वीकृति वापस ले ली जाएगी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अन्तर्गत अनुमोदन/स्वीकृति संस्था या सोसायटी की आय को अपने आप छूट नहीं देता

उपरोक्त सोसायटी/संस्था को दिया गया दान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(2)(a)(iv)[धारा 80G(5)(vi) के साथ पठनीय] के तहत दानदाता के हाथ में इन धाराओं के प्रावधानों में दी गई विनिर्दिष्ट सीमाओं तक, कटौती योग्य होगा।

हस्ता./–
(जयन्त कुमार)
आयकर आयुक्त, अलवर

क्रमांकः आ.आ/अल./आ.अ(तक.)/80G/2014–15/3115

दिनांकः 10.11.2014

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान् संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज– प्रथम, अलवर
2. श्रीमान् सहायक आयकर आयुक्त, वृत्त– प्रथम, अलवर
3. संबंधित सोसायटी /समिति

(कृष्ण यादव)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते आयकर आयुक्त, अलवर

आयकर आयुक्त
अलवर